कार्यालय निदेशालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः एफ 7(4)अकाद / निकाशि / रिफे. / पार्ट II / अजमेर / 09 / 51 दिनांकः 19 जुलाई, 2012

निदेशक,
अकादमी स्टाफ कॉलेज,
महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय,
अजमेर

विषयः दिनांकः 06.08.2012 से 26.08.2012 तक व्यावसायिक प्रबन्ध विषय पर आयोजित रिफ्रेशर कोर्स बाबत।

संदर्भः आपका पत्र क्रमांकः एफ ( ) एएससी / एम डी एस यू / 2012 / 17709 दिनांकः 18.05..2012

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भ में निर्देशानुसार लेख है कि आप द्वारा दिनांकः 06.08.2012 से 26.08.2012 तक व्यावसायिक प्रबन्ध विषय पर आयोजित रिफ्रेशर कोर्स विषय पर आयोजित रिफ्रेशर कोर्स में भाग लेने के लिए निम्नलिखित व्याख्याताओं को मनोनीत किया जाता है :-

क्र.सं.	नाम व्याख्याता	विषय	महाविद्यालय का नाम
1	वन्दना मेघवाल	व्यावसायिक प्रबन्ध	राजकीय कन्या महाविद्यालय, उदयपुर
2	प्रशान्त कुमार	व्यावसायिक प्रबन्ध	राजकीय महाविद्यालय, रामगढ़
3	राधा सोलंकी	व्यावसायिक प्रबन्ध	राजकीय महाविद्यालय, नोखा
4	सुलक्ष्मी तोसनीवाल	व्यावसायिक प्रबन्ध	राजकीय महाविद्यालय, ब्यावर

उपरोक्त मनोनीत व्याख्याताओं को आमन्त्रण पत्र आप अपने स्तर पर भेजें तथा उक्त कोर्स में उपस्थित एवं अनुपस्थित होने वाले व्याख्याताओ की सूची निदेशालय को भिजवायें। जिससे कि अनुपस्थित रहने वाले व्याख्याताओं के विरूद्ध कार्यवाही की जा सके।

उक्त कोर्स में भाग लेने वाले व्याख्याताओं को यात्रा एवं दैनिक भत्ता आपके द्वारा देय होगा।

भवदीय,

(हस्ताक्षर)

संयुक्त निदेशक,
कॉलेज शिक्षा, राज0, जयपुर

क्रमांकः एफ 7(4)अकाद / निकाशि / रिफे. / पार्ट II / अजमेर / 09 / 51 दिनांकः 19 जुलाई, 2012

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संबंधित प्राचार्य कृपया निम्नलिखित निर्देशों की पूर्ण पालना सुनिश्चित करें :-
   (अ) मनोनीत व्याख्याताओं को विश्वविद्यालय से आमन्त्रण पत्र प्राप्त होने पर उक्त कोर्स में भाग लेने के लिए दिनांक 06.08.2012 को प्रातः 9.00 बजे निदेशक, अकादमी स्टाफ कॉलेज, महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर को उपस्थिति देने हेतु निर्देशित करें।
   (ब) व्याख्याताओं को चयनित वेतनमान के लिए वरिष्ठ वेतनमान के पश्चात् दो रिफ्रेशर कोर्स करना अनिवार्य है।
   (स) सभी प्राचार्य यह सुनिश्चित करें कि उनके महाविद्यालयों से ओरियेन्टेशन / रिफ्रेशर कोर्स के लिए मनोनीत किये गये व्याख्याताओं में से जिनको कोर्स में भाग लेने की आवश्यकता है, उन्हें आवश्यक रूप से इस कोर्स में भाग लेने के लिए पाबन्द करें, अन्यथा पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं प्राचार्य की होगी। साथ ही ओरियेन्टेशन / रिफ्रेशर कोर्स में भाग लेने वाले व्याख्याताओं को छात्रहित को देखते हुऐ अतिरिक्त कक्षाऐं लेकर कोर्स पूर्ण कराने एवं अपने स्तर पर कोई वैकल्पिक व्यवस्था करने हेतु निर्देशित करें।
2. संबंधित व्याख्याता - यदि आपके द्वारा उक्त कोर्स में भाग नहीं लिया गया है तो आपके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी एवं मार्च 2013 तक आपको कोई अवसर प्रदान नहीं किया जावेगा। जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।
3. निजी सचिव, निदेशक, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
4. सहायक निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर / जोधपुर / उदयपुर / कोटा / बीकानेर / अजमेर को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने क्षेत्र के संबंधित व्याख्याताओं के महाविद्यालयों के प्राचार्यों को सूचित करें कि उपरोक्त व्याख्याताओं का मनोनयन किया गया है जिन्हें विश्वविद्यालय से आमंत्रण पत्र प्राप्त होने पर उक्त कोर्स के लिए कार्यमुक्त किया जावे।
5. डा0 धीरेन्द्र देवर्षि, व्याख्याता, बेवसाईट प्रभारी, निदेशालय। कृपया निदेशालय की बेवसाईट पर डालने का श्रम करें।
6. रक्षित पत्रावली ।

(हस्ताक्षर)

संयुक्त निदेशक,
कॉलेज शिक्षा, राज0, जयपुर